

न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, चम्पावत ।
कार्यालय आदेश संख्या 41/2024, दिनांक 19 जून, 2024

जिला चम्पावत स्थित मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट/जे0एम0 न्यायालय/सिविल जज (जू0डि0) टनकपुर के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत मामलों से सम्बन्धित रिमाण्ड, बेल व आवश्यक कार्य के निष्पादन हेतु पूर्व में पारित आदेश संख्या 28/2024, दिनांकित 30 मई, 2024 को संशोधित करते हुए, माह जुलाई 2024 से मार्च 2025 तक अवकाश के दिनों में उक्त कार्यों के निष्पादन हेतु निम्नवत व्यवस्था बनाई जाती है:-

जिला मुख्यालय चम्पावत		
क्र0सं0	माह	न्यायिक अधिकारी का नाम
1.	जुलाई 2024	श्रीमती रश्मि गोयल सिविल जज (सी0डि0)/न्यायिक मजिस्ट्रेट, चम्पावत ।
2.	अगस्त 2024	श्रीमती जहां आरा अंसारी, सिविल जज (जू0डि0)/न्यायिक मजिस्ट्रेट, चम्पावत ।
3.	सितम्बर 2024	श्रीमती रश्मि गोयल सिविल जज (सी0डि0)/न्यायिक मजिस्ट्रेट, चम्पावत ।
4.	अक्टूबर 2024	श्रीमती जहां आरा अंसारी, सिविल जज (जू0डि0)/न्यायिक मजिस्ट्रेट, चम्पावत ।
5.	नवम्बर 2024	श्रीमती जहां आरा अंसारी, सिविल जज (जू0डि0)/न्यायिक मजिस्ट्रेट, चम्पावत ।
6.	दिसम्बर 2024	श्रीमती रश्मि गोयल सिविल जज (सी0डि0)/न्यायिक मजिस्ट्रेट, चम्पावत ।
7.	जनवरी 2025	श्रीमती रश्मि गोयल सिविल जज (सी0डि0)/न्यायिक मजिस्ट्रेट, चम्पावत ।
8.	फरवरी 2025	श्रीमती जहां आरा अंसारी, सिविल जज (जू0डि0)/न्यायिक मजिस्ट्रेट, चम्पावत ।
9.	मार्च 2025	श्रीमती रश्मि गोयल सिविल जज (सी0डि0)/न्यायिक मजिस्ट्रेट, चम्पावत ।

बाह्य स्थित न्यायालय टनकपुर, जिला चम्पावत		
क्र0सं0	माह	न्यायिक अधिकारी का नाम
1.	जुलाई 2024 से माह मार्च 2025 तक	श्रीमती प्रियांशी नगरकोटी, सिविल जज (जू0डि0)/न्यायिक मजिस्ट्रेट, टनकपुर ।

यदि चम्पावत के बाह्य स्थित न्यायालय सिविल जज (जू0डि0)/जे0एम0 टनकपुर के सम्बन्धित पीठासीन अधिकारी अवकाश के दौरान विधिवत् अनुमति से मुख्यालय से बाहर हों, तो उनके स्थान पर अवकाश के दिनों में रिमाण्ड से सम्बन्धित समस्त कार्यवाही मुख्यालय पर नामित रिमाण्ड मजिस्ट्रेट द्वारा निष्पादित की जायेगी ।

यदि किसी कारणवश चम्पावत स्थित मुख्यालय पर नामित रिमाण्ड मजिस्ट्रेट विधिवत अनुमति से मुख्यालय से बाहर हो तो उनके स्थान पर रिमाण्ड सम्बन्धित समस्त कार्यवाही उक्त मजिस्ट्रेट द्वारा निष्पादित की जायेगी, जिसके द्वारा नामित रिमाण्ड मजिस्ट्रेट के स्थान पर रिमाण्ड सम्बन्धित कार्य को करने की लिखित सहमति प्रदान की गई हो।

अपरिहार्य परिस्थितियों में उपरोक्त माह जुलाई 2024 से माह मार्च 2025 तक अवकाश के दिनों में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अनुपस्थिति में आवश्यक वी0आई0पी0/प्रोटोकाल का कार्य सम्बन्धित रिमाण्ड मजिस्ट्रेट द्वारा निष्पादित किया जायेगा। तदनुसार सम्बन्धित सूचित हों।

दिनांक 19-06-2024

(निहारिका मित्तल गुप्ता)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, चम्पावत।

कार्यालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, चम्पावत।

पत्रांक 217 /2024: सी0जे0एम0 कार्यालय चम्पावत दिनांक: 19 जून, 2024

प्रतिलिपि:—माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय चम्पावत को सादर अवलोकनार्थ एवं निम्नलिखित को सूचनाथ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. श्रीमान जिला मजिस्ट्रेट, चम्पावत।
2. श्रीमान पुलिस अधीक्षक, चम्पावत को समस्त पुलिस थानों को सूचित करने हेतु।
3. सिविल जज (सी0डि0)/न्यायिक मजिस्ट्रेट, चम्पावत।
4. सिविल जज (जू0डि0)/न्यायिक मजिस्ट्रेट, चम्पावत।
5. सिविल जज (जू0डि0)/न्यायिक मजिस्ट्रेट, टनकपुर।
6. ज्येष्ठ अभियोजन अधिकारी, चम्पावत।
7. अधीक्षक जिला कारागार अल्मोड़ा एवं प्रभारी न्यायिक बन्दीगृह लोहाघाट।
8. अध्यक्ष/सचिव, जिला बार एसोसिएशन, चम्पावत व टनकपुर।
9. सिस्टम ऑफिसर, जिला जजी चम्पावत को जजशिप चम्पावत की वेबसाइट में ड्यूटी मजिस्ट्रेट से सम्बन्धित लिंक पर अपलोड करने हेतु।
10. गार्ड फाइल।

(बीरेन्द्र सिंह धामी)
रीडर,
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, चम्पावत।